किशोर न्याय अधिनियम, 1986
(1986 का अधिनियम संख्याक 53)

धाराओं का क्रम

अध्याय 1
प्रारंभिक

धारा

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।
3. ऐसे किशोर के बारे में जांच चालू रखना जो किशोर नहीं रह गया है ।

अध्याय 2
सक्षम प्राधिकारी और किशोरों के लिए संस्थाएं

4. किशोर कल्याण बोर्ड ।
5. किशोर न्यायालय ।
6. बोर्डों और किशोर न्यायालयों के संबंध में प्रकिया आदि ।
7. बोर्ड और किशोर न्यायालय की शक्तियां ।
8. इस अधिनियम के अधीन सशक्त न किए गए मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ।
9. किशोर गृह ।
10. विशेष गृह ।
11. संप्रेक्षण गृह ।
12. पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन ।

अध्याय 3
उपेशित किशोर

13. उपेक्षित किशोरों का बोर्ड के समक्ष पेश किया जाना ।
14. उपेक्षित किशोर के माता या पिता होने की दशा में अनुसरण की जाने वाली विशेष प्रकिया
15. उपेक्षित किशोरों के बारे में बोर्ड द्वारा जांच ।
16. उपेक्षित किशोर को उपयुक्त अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करने की शक्ति ।
17. अनियंत्रिणीय किशोर ।

अध्याय 4

अपचारी किशोर

18. किशोरों की जमानत और अभिरक्षा ।
19. माता-पिता या संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला ।
20. अपचारी किशोरों के बारे में किशोर न्यायालय द्वारा जांच ।
21. वे आदेश जो अपचारी किशोरों के बारे में पारित किए जा सकेंगे ।
22. वे आदेश जो अपचारी किशोरों 'के विरूद्ध पारित न किए जा सकेंगे ।
23. दंड प्रकिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन कार्यवाही का किशोर के विरूद्ध न हो सकना
24. किशोर का और किशोर से भिन्न व्यक्ति .का संयुक्त विचारण न होना ।
25. दोषसिद्धि से होने वाली निरर्हताओं का हटाया जाना ।
26. लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध ।

अध्याय 5

सक्षम प्राधिकारियों की प्रकिया और ऐसे प्राधिकारियों के आदेशों की अपील तथा पुनरीक्षण

27. बोर्डो और किशोर न्यायालय की बैठकें आदि ।
28. वे व्यक्ति जो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकेंगे ।
29. किशोर के माता-पिता या संरक्षक की हाजिरी ।
30. किशोर को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना ।
31. खतरनाक रोग से पीडित किशोर को अनुमोदित स्थान के सुपुर्द करना तथा भावी व्यवस्था ।
32. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण ।
33. वे परिस्थितियां जिनका इस अधिनियम के अधीन आदेश करने में विचार किया जाएगा ।
34. किशोर को अधिकारिता के बाहर भेजना ।
35. रिपोर्टो का गोपनीय माना जाना ।
36. इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अंतग्रस्त किशोर के नाम आदि प्रकाशित करने का प्रतिषेध ।
37. अपीलें ।
38. पुनरीक्षण ।
39. जांच अपील और पुनरीक्षण की कार्यवाहियों में प्रकिया ।
40. आदेशों के संशोधन की शक्ति ।

अध्याय 6

किशोरों के बारे में विशेष अपराध

41. किशोरों के प्रति कूरता के लिए दंड ।
42. भीख मांगने के लिए किशोरों का नियोजन ।
43. किशोर को मादक लिकर या स्वापक औषधि या मनः प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति ।

44. किशोर कर्मचारियों का शोषण ।
45. वैकल्पिक दंड ।

अध्याय 7
प्रकीर्ण

46. किशोरों को उन्मोचित और अंतरित करने की राज्य सरकार की शक्ति ।
47. इस अधिनियम के अधीन किशोर-ग्रहों आदि तथा भारत के विभिन्न भागों में उसी प्रकृति के अन्य किशोर-ग्रहों आदि के बीच अंतरण ।
48. विकृतचित के या कुष्ठ से पीडित या औषधि व्यसनी किशोरों का अंतरण ।
49. अनुज्ञप्ति पर बाहर रखना ।
50. निकल भागने वाले किशोरों के बारे में उपबंध ।
51. माता.पिता द्वारा अभिदाय ।
52. निधि
53. सलाहकार बोर्ड ।
54. परिदर्शक ।
55. अभिरक्षक का किशोर पर नियंत्रण ।
56. इस अधिनियम के प्रारंभ के समय दंडादेश भोग रहा अपचारी किशोर ।
57. अधिकारियों की नियुक्ति ।
58. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों का लोकसेवक होना ।
59. बंधपत्रों के बारे में प्रक्रिया ।
60. शक्तियों का प्रत्यायोजन ।
61. सदभावपूर्वक किए गए कार्य के लिए संरक्षण ।
62. नियम बनाने की शक्ति ।
63. निरसन और व्यावृत्तियां ।

किशोर न्याय अधिनियम, 1986
(1986 का अधिनियम सं. 53)

उपेक्षित या अपचारी किशोरों की देखरेख संरक्षण उपचार विकास और पुर्नवास का तथा अपचारी किशोरों से संबंधित विषयों के न्यायनिर्णयन का और उनके आवासादेश का उपबंध करने के लिए अधिनियम

अध्याय 1
प्रारंभिक

भारत गणराज्य के सैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ. - (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम किशोर न्याय अधिनियम 1986 है ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए और भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी ।

2. परिभाषाएं. - इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "भीख मांगना " से अभिप्रेत है-

(i) लोक स्थान में भिक्षा की याचना या प्राप्ति या किसी प्राइवेट परिसर में भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजन से प्रवेश करना चाहे वह गाने नाचने भाग्य बताने करतब दिखाने या वस्तुओं को बेचने के बहाने से हो या अन्यथा;

(ii) भिक्षा अभिप्राप्त या उद्दापित करने के उद्देश्य से अपना या किसी अन्य व्यक्ति या जीवजन्तु का कोई व्रण घाव क्षति विरूपिता या रोग अभिदर्शित या प्रदर्शित करना;

(iii) भिक्षा की याचना या प्राप्ति के प्रयोजनार्थ प्रदर्शन के रूप में अपने को उपयोग में लाए जाने देना;

(ख) " बोर्ड " से धारा 4 के अधीन गठित किशोर कल्याण बोर्ड अभिप्रेत है;

(ग) **" वेश्यागृह " " वेश्या " वेश्यावृत्ति "** और " लोक स्थान " के वही अर्थ हैं, जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम, 1956 (1956 का 104) में हैं;

(घ) **" सक्षम-प्राधिकारी "** से उपेक्षित किशोरों के संबंध में बोर्ड और अपचारी किशोरों के संबंध में किशोर न्यायालय अभिप्रेत है और जहां ऐसा कोई बोर्ड या किशोर न्यायालय गठित नहीं किया गया है वहां उसके अंतर्गत ऐसा कोई न्यायालय है जो बोर्ड या किशोर न्यायालय को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिये धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन सशक्त किया गया है ।

(ङ) **" अपचारी किशोर "** में ऐसा किशोर अभिप्रेत है जिसके बारे में यह ठहराया गया है कि उसने अपराध किया है;

(च) **" योग्य व्यक्ति " या " योग्य संस्था "** से अभिप्रेत है ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसे कोई संस्था (जो पुलिस थाना या जेल नहीं है) जिसे सक्षम प्राधिकारी उसकी देखरेख और संरक्षण में सौंपे गए किसी किशोर को ऐसे निबंधनों और ऐसी शर्तो पर जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं और उसकी देखरेख करने के लिये योग्य पाए;

(छ) किशोर के संबंध में " संरक्षक " के अन्तर्गत कोई ऐसा व्यक्ति है जो किशोर के संबन्ध में किसी कार्यवाही का संज्ञान करने वाले सक्षम प्राधिकारी की राय में तत्समय उस किशोर का वास्तिविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखता है;

(ज) **" किशोर "** से अभिप्रेत है ऐसा लड़का जिसने सोलह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है या ऐसी लड़की जिसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ;

(झ) " किशोर न्यायालय " से धारा 5 के अधीन गठित न्यायालय अभिप्रेत है;

(ञ) " किशोर-गृह " से राज्य सरकार द्वारा किशोर-गृह के रूप में धारा 9 के अधीन स्थापित या प्रमाणित संस्था अभिप्रेत है;

(ट) " स्वापक औषधि " तथा " मन : प्रभावी पदार्थ " के वही अर्थ है । जो उनके स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 (1985 का 61) में हैं ;

(ठ) " उपेक्षित किशोर " से ऐसा किशोर अभिप्रेत है-

(प) जो भीख मांगते पाया जाता है; या

(पप) जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसका कोई घर या निश्चित निवास-स्थान और जीवन-निर्वाह के दृश्यमान साधन नहीं हैं और जो निराश्रित है; या

(पपप) जिसके माता-पिता या संरक्षक किशोर पर नियंत्रण रखने के लिये अयोग्य या असमर्थ है; या

(पअ) जो वेश्यागृह में या वेश्या के साथ रहता है या बहुधा ऐसे स्थान पर जाता है जो वेश्यावृत्ति के प्रयाजनार्थ उपयोग में लाया जाता है या जिसके बारे में यह पाया जाता है कि वह किसी वेश्या का या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति का संग करता है जो अनैतिक, मल या दुराचारी जीवन व्यतीत करता है;

(अ) जिसका अनैतिक या वैध प्रयोजनों या लोकात्मा विरूद्ध लाभ के लिये दुरूपयोग या शोषण किया जा रहा है या किए जाने की संभावना है;

(ड) " संप्रेक्षण-गृह " से कोई ऐसी संस्था या स्थान अभिप्रेत है जो राज्य सरकार द्वारा धारा 11 के अ धीन संप्रेक्षण-गृह के रूप में स्थगित या मान्यताप्राप्त है;

(ढ) " अपराध " से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन दण्डनीय कोई अपराध अभिप्रेत है;

(ण) " सुरक्षित स्थान " से अभिप्रेत है ऐसा कोई स्थान या ऐसी कोई संस्था (जो पुलिस थाना या

जेल नहीं है) जिसका भारसाधक व्यक्ति किसी किशोर को अस्थायी रूप में लेने ओर उसकी देखरेख करने के लिये रजामंद है ओर सक्षम प्राप्ति धकारी की राय में किशोर के लिये सुरक्षित स्थान है;

(त) " विहित " से इस अधिनियम - के अ धीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(थ) " परिवीक्षा अधिकारी " से इस अरि धनियम या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 (1958 का 20) के अधीन परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त कोई अधिकारी अभिपेत है;

(द) " विशेष गृह " से राज्य सकरार द्वारा धारा 10 के अधीन स्थापित या प्रमाणित संस्था अभिपेत है;

(ध) इस अधिनियम के अधीन किसी माता-पिता संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था की देखरेख में रखे गए किशोर के संबंध में " पर्यवेक्षण " से परिवीक्षा अरि धकारी द्वारा यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन से उस किशोर का पर्यवेक्षण अभिप्रेत है कि कि. की उचित रूप से देखभाल की जाए और सक्षम प्राप्ति धकारी द्वारा अरि धरोपित शर्तो का अनुपालन किया जाए;

(न) उन सभी शब्दों और पदों के जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं है ओर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में परिभाषित हैं वही अ र्थ होंगे जो उनके उस संहिता में हैं ।

3. ऐसे किशोर के बारे में जांच चालू रखना जो किशोर नहीं रह गया है. - जहां किसी किशोर के विरूद्ध जांच आरंभ कर दी गई है और उस जांच के दौरान वह किशोर नहीं रह जाता है वहां उस अधिनियम में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उस व्यक्ति के बारे में जांच ऐसे चालू रखी जा सकेगी और आदेश ऐसे किए जा सकेंगे मानो वह व्यक्ति किशोर बना रहा है ।

अध्याय 2
सक्षम प्राधिकारी और किशोरों के लिए संस्थाएं

4. किशोर कल्याण बोर्ड. - (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के लिए, या अधिक किशोर कल्याण बोर्ड अपेक्षित किशोरों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए गठित कर सकेगी ।

(2) बोर्ड एक अध्यक्ष और ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिन्हें नियुक्त करना राज्य सरकार ठीक समझे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी ओर हर ऐसे सदस्य में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होंगी ।

(3) बोर्ड मजिस्ट्रेट के न्यायपीठ के रूप में कार्य करेगा और उसे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा, यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी ।

5. किशोर न्यायालय. - (1) दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र के लिए, एक या अधिक किशोर न्यायालय अपचारी किशोरों के संबंध में इस अधिनियम के अधीन ऐसे न्यायालय को प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए गठित कर सकेगी ।

(2) किशोर न्यायालय, न्यायपीठ गठित करनेवाले यथास्थिति उतने महानगर मजिस्ट्रेटों या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेटों से मिलकर बनेगा जितने नियुक्त करना राज्य सरकार ठीक समझे ओर उनमें से एक प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदाभिहित किया जाएगा और हर ऐसे न्यायपीठ को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) द्वारा यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियां प्राप्त होंगी ।

(3) प्रत्येक किशोर न्यायालय की सहायता ऐसी अर्हताएं जो विहित की जाएं रखने वाले दो अवैतनिक सामाजिक कार्यकर्ताओं के पैनल द्वारा की जाएगी जिनमें से कम सेकम एक महिला होगी और ऐसे पैनल राज्य सरकार नियुक्त करेगी ।

6. बोर्डो और किशोर न्यायालयों के संबंध में प्रक्रिया आदि. - (1) बोर्ड के सदस्यों में या किशोर न्यायालय के मजिस्ट्रेटों में मतभेद होने की दशा में बहुमत की राय अभिभावी होगी किन्तु जहां ऐसा बहुमत नहीं है वहां यथास्थिति अध्यक्ष या प्रधान मजिस्ट्रेट की राय अभिभावी होगीं ।

(2) बोर्ड या किशोर न्यायालय यथास्थिति बोर्ड के किसी सदस्य या किशोर न्यायालय के किसी मजिस्ट्रेट के अनुपस्थित रहते हुए भी कार्य कर सकेगा और बोर्ड या किशोर न्यायालय द्वारा किया गया कोई आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि कार्यवाही के किसी प्रक्रम के दौरान यथास्थिति, कोई सदस्य या मजिस्ट्रेट अनुपस्थित था |

(3) कोई व्यक्ति बोर्ड के सदस्य या किशोर न्यायालय के मजिस्ट्रेट के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वह राज्य सरकार की राय में बाल-मनोविज्ञान और बाल-कल्याण का विशेष ज्ञान नहीं रखता है ।

7. बोर्ड और किशोर न्यायालय की शक्तियां. - (1) जहां किसी क्षेत्र के लिए बोर्ड या किशोर न्यायालय गठित किया गया हेऐ वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी किन्तु उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम में अभिव्यक्तत : अन्यथा उपबंधित है, ऐसे बोर्ड या न्यायालय को यथास्थिति उपेक्षित या अपचारी किशोरों से संबंधित इस अधिनियम के अधीन सब कार्यवाहियों के संबंध में अनन्यत : कार्य करने की शक्ति प्राप्त होगी :

परन्तु यदि बोर्ड या किशोर न्यायालय की यह राय है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना आवश्यक है तो वह किसी कार्यवाही को यथास्थिति किसी न्यायालय या बोर्ड को

अंतरित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि जहां पहले परन्तुक के अधीन किसी कार्यवाही के अंतरण के संबंध में बोर्ड या किशोर न्यायालय के बीच मतभेद है वहां उसे यथास्थिति मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को विनिश्चय के लिये निर्देशित किया जाएगा और जहां जिला मजिस्ट्रेट, बोर्ड या किशोर न्यायालय के रूप में कार्य कर रहा है वहां ऐसा मतभेद सेशन न्यायालय को निर्देशित किया जाएगा और ऐसे निर्देश पर यथास्थिति मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या सेशन न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(2) जहां किसी क्षेत्र के लिए कोई बोर्ड या किशोर न्यायालय गठित नहीं किया गया है वहां इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड या किशोर न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां उस क्षेत्र में केवल निम्नलिखित द्वारा प्रयुक्त की जाएंगी अर्थात् :-

(क) जिला मजिस्ट्रेट; या
(ख) उपखंड मजिस्ट्रेट; या
(ग) यथास्थिति, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट ।

(3) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बोर्ड या किशोर न्यायालय को प्रदत्त शक्तियां उच्च न्यायालय और सेशन न्यायालय द्वारा भी उस दशा में प्रयोग की जा सकेंगी जब कोई कार्यवाही उनके समक्ष अपील या पुनरीक्षण में या अन्यथा आए।

8. इस अधिनियम के अधीन सशक्त न किए गए मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया. - (1) जब किसी ऐसे मजिस्ट्रेट की जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड या किशोर न्यायालय की शक्तियों को प्रयोग करने के लिए सशक्त नहीं हैं यह राय है कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अधीन (उसके -समक्ष साक्ष्य देने के प्रयोजन से अन्यथा) लाया गया कोई व्यक्ति किशोर है तब वह उस राय को अभिलिखित करगा और उस किशोर को तथा उस कार्यवाही के अभिलेख की उस कार्यवाही पर अधिकारिता रखने वाले सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा ।

(2) वह सक्षम प्राधिकारी जिसे उपधारा (1) के अधीन कार्यवाही भेजी गई है इस प्रकार जांच करेगा मानो किशोर मूलत: उसके समक्ष लाया गया हो ।

9. किशोर गृह. - (1) राज्य सरकार उपेक्षित किशोरों को इस अधिनियम के अधीन दखने कै लिऐ उतनी संख्या में किशोर गृह स्थापित कर सकेगी और बनाए रख सकेगी जितने आवश्यक हों ।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन स्थापित या अनुरक्षित गृह से भिन्न कोई संख्या इस अधिनियम के अधीन वहां भेजे जाने वाले उपेक्षित किशोरों को रखने के लिए ठीक है वहां उस संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किशोरगृह के रूप में प्रमाणित कर सकेगी ।

(3) हर किशोर-गृह जिसे कोई उपेक्षित किशोर इस अधिनियम के अधीन भेजा जाता है किशोर के लिए वास-सुविधा भरण-पोषण शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण ओर पुनर्वास की सुविधाओं की ही व्यवस्था नहीं करेगा अपितु उसके लिए अपने चरित्र और योग्यताओं के विकास की सुविधाओं की भी व्यवस्था करेगा और उसे इस बात के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देगा कि वह नैतिक खतरों या शोषण से अपना संरक्षण करे और उसके सर्वतोमुखी वृद्धि तथा व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करने कं लिए अन्य ऐसे कृत्य भी करेगा जो विहित किए जाएं ।

(4) राज्य सरकार किशोर-गृहों के प्रबंध के लिए जिसमें उनके द्वारा बनाए रखी जाने वाली सेवाओं को स्तर और प्रकृति भी है और उन परिस्थितियों के लिए जिनमें तथा उस रीति के लिए जिससे किशोर-गृह का प्रमाणन अनुरदलृ या प्रत्याह्रत किया जा सकेगा उपबंध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी ।

10. विशेष गृह. - (1) राज्य सरकार अपचारी किशोरों को इस अधिनियम के अधीन रखने के लए उतनी संख्या में विशेष गृह स्थापित कर सकेगी और बनाए रख सकेगी जितने आवश्यक हों ।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन स्थापित या अनुरक्षित गृह से भिन्न कोई संस्था इस अधिनियम के अधीन वहां भेजे जानेवाले अपचारी किशोरों को रखने के लिए ठीक है वहां वह उस संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विशेष गृह के रूप में प्रमाणित कर सकेगी ।

(3) हर विशेष गृह जिसे कोई -अपचारी किशोर इस अधिनियम के अधीन भेजा जाता है, किशोर के लिए वास-सुविधा भरण-पोषण ओर शिक्षा व्यावसायिक प्रशिक्षण ओर पुनर्वास की सुविधाओं की ही व्यवस्था नहीं करेगा अपितु उसके लिए अपने चरित्र और योग्यताओं के विकास की सुविधाओं की भी व्यवस्था करेगा और उसे उसके सुधार के लिए आवश्यक प्रशिक्षण देगा और उसके सर्वतोमुखी वृद्धि तथा व्यक्तित्व के विकास को सुनिश्चित करने के लिए अन्य ऐसे कृत्य भी करेगा, जो विहित किए जाएं ।

(4) राज्य सरकार विशेष गृहों के प्रबंध के लिए जिसमें उनके द्वारा बनाए रखी जाने वाली सेवाओं का स्तर ओर प्रकृति भी है और उन परिस्थितियों के लिए जिनमें तथा उस रीति के लिए जिससे विशेष गृह का प्रमाणन अनुदत्त या प्रत्याहत किया जा सकेगा उपबंध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी ।

(5) उपधारा (4) के अधीन बनाए गए नियमों में अपचारी किशोरों को उनकी आयु और उनके द्वारा किए गए अपराधों की प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण ओर पृथक्करण के लिए भी उपबंध किया जा सकेगा ।

11. संप्रेषण गृह. - (1) राज्य सरकार किन्हीं किशोरों के बारे में इस अधिनियम के अधीन जांच

लंबित रहने के दौरान उन्हें अस्थायी तौर पर रखने के लिए उतनी संख्या में संप्रेषण गृह स्थापित कर सकेगी और बनाए रख सकेगी जितने आवश्यक हों ;

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि उपधारा (1) के अधीन स्थापित या अनुरक्षित गृह से भिन्न कोई संस्था इस अधिनियम के अधीन किशोरों के बारे में जांच लंबित रहने के दौरान उन्हें अस्थायी तौर पर रखने के लिए ठीक हैं वहां वह उस संस्था को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संप्रेक्षण-गृह के रूप में मान्यता प्रदान कर सकेगी ।

(3) हर संप्रेषण-गृह जिसे कोई किशोर इस अधिनियम के अधीन भेजा जाता है किशोर के लिए वास-सुविधा भरण-णेषण और चिकित्सीय परीक्षा और उपचार की सुविधाओं की ही व्यवस्था नहीं करेगा, अपितु उसके लिए उपयोगी अपजीविका की सुविधाओं की भी व्यवस्था करेगा ।

(4) राज्य सरकार संप्रेक्षण-गृहों के प्रबंध में लिए जिसमें उसके द्वारा बनाए रखी जाने वाली सेवाओं का स्तर और प्रकृति भी है और उन परिस्थितियों के लिए जिनमें तथा उस रीति के लिए जिससे किसी संस्था को संप्रेक्षण-गृह के रूप में मान्यता की जा सकेगी उपबंध इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा कर सकेगी ।

12. पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन. - राज्य सरकार इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा .-

(क) पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों की स्थापना या उनको मान्यता प्रदान करने और ऐसी शक्तियों के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए उनके द्वारा प्रयोग की जा सकेगी;

(ख) पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम की ऐसी स्कीम के लिए उपबंध कर सकेगी जिसका अनुसरण पश्चाद्वती देखरेख के ऐसे संगठनों द्वारा किया जाएगा जो किशोर गृह या विशेष गृह से किशोरों को छोड़ने के पश्चात् उनकी देखरेख के प्रयोजनों के लिए तथा उन्हें ईमानदार परिअमी और उपयोगी जीवन बिताने के लिए समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए हों;

(ग) यथास्थिति किशोर गृह या विशेष गृह से किशोर के छोड़े जाने से पूर्व प्रत्येक किशोर के संबंध में परिवीक्षा द्वारा ऐसे किशोर की पश्चात्वर्ती देखरेख की आवश्यकता और प्रकार के बारे में ऐसी पश्चात्वर्ती देखरेख की कालावधि उसके पर्यवेक्षण के संबंध में रिपोर्ट की तैयारी के बारे में और उसके पर्यवेक्षण के संबंध में रिपोर्ट की तैयारी. के बारे में और उसके प्रस्तुत किए जाने और ऐसे प्रत्येक किशोर की प्रगति के बारे में परिवीक्षा अधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए उपबंध कर सकेगी;

(घ) ऐसे पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों द्वारा बनाए रखी जाने वाली सेवाओं के स्तर और प्रगति के स्तर और प्रगति के लिए उपबंध कर सकेगी;

(ड) ऐसे अन्य विषयों के लिए उपबंध कर सकेगी जो किशोरों के पश्चात्वर्ती देखरेख कार्यक्रम की स्कीम का प्रभावी रूप से निष्पादन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों ।

अध्याय 3

उपेक्षित किशोर

13. उपेक्षित किशोरों का बोर्डो के समक्ष पेश किया जाना.- (1) यदि किसी पुलिस अधिकारी की या अन्य ऐसे व्यक्ति ' या संगठन की जो राज्य सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया गया है, यह राय है कि कोई व्यक्ति दृश्यमानत: उपेक्षित किशोर है तो ऐसा पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति या संगठन उस व्यक्ति को बोर्ड के समक्ष लाने के लिए उसे अपने भारसाधन में ले सकेगा ।

(2) जब पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को उस थाने की सीमा' के भीतर पाए गए किसी उपेक्षित किशोर की इत्तिला दी जाती है तब वह उस प्रयोजन के लिए रखी जाने वाली पुस्तक में उस इल्ला का सार लिखेगा और उस पर ऐसी कार्यवाही करेगी जैसी वह ठीक समझे और यदि वह अधिकारी उस किशोर को अपने भारसाधन में लेने की प्रस्थापना नहीं करता है तो -वह की गई प्रविष्टि की एक प्रतिलिपि बोर्ड को भेजेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन भारसाधन में लिया गया प्रत्येक किशोर उस स्थान से जिसमें किशोर को भारसाधन में लिया गया है बोर्ड तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर, अविलम्ब किन्तु ऐसे भारसाधन में लिए जाने से चौबीस घंटे की कालावधि के भीतर बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा ।

(4) उपधारा (1) के अधीन भारसाधन में लिया गया प्रत्येक किशोर उस स्थान से जिसमें किशोर को भारसाधन में लिया गया है बोर्ड तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड्कर अविलम्ब किन्तु ऐसे भारसाधन में लिए जाने से चौबीस घंटे की कालावधि के भीतर, बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा ।

14. उपेक्षित किशोर के माता या पिता दोने की दशा में अनुसरण की जाने वाली विशेष प्रक्रिया. - (1) यदि किसी ऐसे व्यक्ति का जो पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन की राय में उपेक्षित किशोर है, कोई माता पिता या संरक्षक है जो बालक का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखता है तो पुलिस अधिकारी या प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन किशोर को भारसाधन में लेने के बजाय बोर्ड को किशोर के बारे में जांच आरंभ करने के लिए रिपोर्ट देगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर, बोर्ड माता-पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह किशोर को उसके समक्ष पेश करे ओर इस बात के हेतुक दर्शित करे कि उस किशोर के विषय में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन उपेक्षित किशोर के रूप में कार्यवाही क्यों न की जाए ओर यदि बोर्ड को यह प्रतीत होता है कि किशोर के उसकी अधिकारिता से हटाए जाने की या छिपाए जाने की संभाव्यता है तो वह उसके संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान में लाए जाने का आदेश तुरन्त (यदि आवश्यक हो तो किशोर के तुरन्त पेश किए जाने के लिए तलाशी वारण्ट निकाल कर) कर सकेगा ।

15. उपेक्षित किशोरों के बारे में बोर्ड द्वारा जांच. - (1) जब कोई व्यक्ति जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह उपेक्षित किशोर है बोर्ड के समक्ष पेश किया जाता है तब वह उस पुलिस अधिकारी

या प्राधिकृत व्यक्ति या संगठन की जो किशोर को लाया हो या जिसने रिपोर्ट की हो परीक्षा करेगा ओर ऐसी परीक्षा का सार अभिलिखित करेगा ओर विहित रीति से जांच करेगा और किशोर के संबंध में ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे ।

(2) जहां जांच करने पर बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि कोई किशोर उपेक्षित किशोर है और उसके बारे में ऐसी कार्यवाही करना समीचीन है वहां बोर्ड किशोर के किशोर न रह जाने तक की कालावधि के लिए किशोर गृह में भेजे जाने का निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा :

परन्तु बोर्ड ऐसे ठहरने की कालावधि को अभिलिखित किए जाने वाला कारणों से बढा सकेगा किन्तु किसी भी दशा में ठहरनें की कालावधि उससे आगे की नहीं होगी जब किशोर लड़के की दशा में अठारह वर्ष या लड़की की दशा में बीस वर्ष की आयु प्राप्त कर ले :

परन्तु यह और कि यदि बोर्ड का यह समाधान हो जाता है कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना समीचीन है तो वह ठहरने की कालावधि को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसी कलावधि तक जैसा वह ठीक समझे घटा सकेगा ।

(3) किसी किशोर के बारे में जांच लम्बित रहने के दौरान किशोर तब के सिवाय जब वह माता-पिता या संरक्षक के साथ रखा जाए संप्रेक्षण गृह या किसी सुरक्षित स्थान को ऐसी कालावधि के लिए जो बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट हो भेजा जाएगा :

परन्तु कोई किशोर अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ तब तक नहीं रखा जाएगा जब बोर्ड की राय में ऐसे माता-पिता या संरक्षक किशोर की उचित देखरेख करने या उस पर नियंत्रण रखने के आयोग्य या असमर्थ हो या वह उचित देखरेख न करता हो ओर नियंत्रण न रखता हो ।

16. उपेक्षित किशोर को उपयुक्त अभिरक्षा के लिए सुपुर्द करने की शक्ति. - (1) यदि बोर्ड ऐसा ठीक समझे तो वह धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन किशोर को किशोर गृह भेजने का आदेश करने के बजाय किशोर को माता-पिता संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का आदेश किशोर के सदाचार और उसकी भलाई के लिए और ऐसी शर्तो के अनुपालन के लिए, जिनहें अधिरोपित करना बोर्ड ठीक समझे उत्तरदायी होने का प्रतिभू सहित या रहित बद्ध पत्र ऐसे माता-पिता संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने पर, कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश करते समय या किसी पश्चात्वर्ती समय पर बोर्ड यह अतिरिक्त आदेश कर सकेगा कि किशोर ऐसी कालावधि के लिए पर्यवेक्षण के अधीन रखा जाए जो प्रथमत: तीन वर्ष से अधिक की नहीं होगी ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी समय बोर्ड को परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि किशोर के बारे में उसके द्वारा

अधिरोपित शर्तो में से किसी का भंग हुआ है तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे यह आदेश कर सकेगा कि किशोर को किशोर गृह भेजा जाए ।

17. अनियंत्रणीय किशोर. - जहां किशोर के माता-पिता या संरक्षक बोर्ड से यह शिकायत करते हैं कि वह किशोर की उचित देखरेख करने ओर उस पर नियंत्रण रखने में असमर्थ हैं और जांच करने पर बोर्ड का समाधान हो जाता है कि किशोर के बारे में इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही आरम्भ की जानी चाहिए वहां वह किशोर को संप्रेक्षण-गृह या किसी सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा और ऐसी अतिरिक्त जांच कर सकेगा जो वह ठीक समझे ओर धारा 15 और धारा 16 के उपबंध ऐसी कार्यवाही के । यथाशक्य लागू होंगे ।

अध्याय 4
अपचारी किशोर

18. किशोरों की जमानत ओर अभिरक्षा. - (1) जब कोई ऐसा व्यक्ति जो जमानतीय या अजमानतीय अपराध का अभियुक्त है और दृश्यमान रूप में किशोर है, गिरफ्तार या निरूद्ध किया जाता है अथवा किशोर न्यायालय के समक्ष उपसंजात होता या लाया जाता है तब दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी उस व्यक्ति को प्रतिभु सहित या रहित जमानत पर छोड़ दिया जाएगा, किन्तु इस प्रकार उसे तब नहीं छोडा जाएगा जब यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार प्रतीत होते हैं कि उसके ऐसे छोडे जाने से संभाव्य है कि उसका संग किसी ज्ञात अपराधी से होगा या वह नैतिक खतरे के लिए उच्छन्न होगा या उसके छोड़े जोन से न्याय के उद्देश्य विफल होंगे ।

(2) जब गिरफ्तार किए जाने पर ऐसे व्यक्ति को पुलिस थाने के भार-साधक अधिकारी द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब ऐसे अधिकारी उसे विहित रीति से संप्रेक्षणगृह या किसी सुरक्षित स्थान में किन्तु (किसी पुलिस थाने या जेल में नहीं तब तक के लिए रखवाएगा जब तक उस किशोर को न्यायालय के समक्ष न लाया जा, सके ।

(3) जब ऐसे व्यक्ति किशोर न्यायालय द्वारा उपधारा (1) के अधीन जमानत पर नहीं छोड़ा जाता है तब वह जेल के सुपुर्द करने के बजाय उसके बारे में जार्च के लम्बित रहने के दौरन ऐसे कालावधि के लिए जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसे संप्रेक्षण-गृह या किसी सुरक्षित स्थान में भेजने के लिए आदेश करेगा ।

19. माता-पिता या संरक्षक अथवा परिवीक्षा अधिकारी को इत्तिला- जहां कोई किशोर गिरफ्तार किया जाता है वहां उस पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी जिस पर वह किशोर लाया जाता है गिरफ्तारी के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र-

(क) उस किशोर के माता-पिता या संरक्षक को यदि उसका पता चलता है ऐसी गिरफ्तारी की इत्तिला देगा और यह निदेश देगा कि वह उस किशोर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो जिसके ' समक्ष

किशोर उपसंजात होगा |

(ख) परिवीक्षा अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी की इत्तिला देगा जिससे कि वह किशोर के पूर्ववृत्त ओर कौटुम्बिक इतिहास के बारे में तथा अन्य ऐसी तात्विक परिस्थितयों के बारे में जानकारी अभिप्राप्त कर सके जिनके बारे में यह संभाव्य है कि वे जांच करने में किशोर-न्यायालय के लिए सहायक होंगी ।

20. अपचारी किशोरों के बारे में किशोर न्यायालय द्वारा जांच. - जहां अपराध से आरोपित किशोर किशोर-न्यायालय के समक्ष उपसंजात होता है या पेश किया जाता है वह किशोर-न्यायालय धारा 39 के उपबंधों के अनुसार जांच करेगा ओर इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए वह किशोर के संबंध में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।

21. वे आदेश जो अपचारी किशोरों के बारे में पारित किए जा सकेंगे. - (1) जहां किशोर-न्यायालय का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि किशोर ने अपराध किया है वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी तत्पतिकूल बात के हेते हुए भी वह किशोर न्यायालय यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो-

(क) किशोर को उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् घर जाने दे सकेगा;

(ख) किशोर को सदाचारण की परिवीक्षा पर छोड़ने ओर माता-पिता संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति की देख रेख में रखने का आदेश, किशोर के सदाचार और उसकी भलाई के लिए उस न्यायालय की अपेक्षानुसार प्रतिभू सहित या रहित तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए बंधपत्र ऐसे माता-पिता संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति द्वारा निष्पादित किए जाने पर, कर सकेगा;

(ग) किशोर को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने ओर किशोर को सदाचार ओर उसकी भलाई के लिए किसी योग्य संस्था की देखरेख में रखने का निदेश, तीन वर्ष से अनधिक कालावधि के लिए कर सकेगा;

(घ) किशोर को निम्नलिखित समय के लिए विशेष गृह को भेजने का निदेश देने वाला आदेश कर सकेगा अर्थात् :-

(i) चौदह वर्ष से अधिक आयु के लड़के या सोलह वर्ष से अधिक आयु की लड़की की दशा में तीन वर्ष से अन्त कालावधि के लिए,

(ii) किसी अन्य किशोर की दशा में तब तक के लिए जब वह किशोर न रह जाए :

परन्तु किशोर-न्यायालय, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसा करना अपराध की प्रकृति तथा मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए समीचीन हैं ठहरने की कालावधि को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से देसी कालावधि तक जैसी वह ठीक समझे घटा सकेगा:

परन्तु यह और कि किशोर-न्यायालय ऐसे ठहरने की कालावधि को अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, बढा सकेगा किन्तु किसी भी दशा में ठहरने की कालावधि उससे आगे की नहीं होगी जब

किशोर, लड़के की दशा में अठारह वर्ष की या लड़की की दशा में बीस वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है;

(ड्) यदि किशोर चौदह वर्ष से अधिक आयु का है और धन अर्जन करता हो तो उसे आदेश दे सकेगा कि वह जुर्माना दे ।

(2) जहां उपधारा (1) के खंड ख खण्ड ग या खंड (ड्) के अधीन आदेश किया जाता है वहां किशोर-न्यायालय यदि उसकी राय है कि ऐसा करना किशोर के तथा लोकहित में समीचीन है, तो अतिरिक्त आदेश कर सकेगा कि अपचारी किशोर आदेश में नामित परिवीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी कालावधि के दौरान रहेगा जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में ऐसी शर्त अधिरोपित कर सकेगा जिन्हें वह अपचारी किशोर के सम्यक् पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक समझे :

परन्तु यदि तत्पश्चात् किसी समय किशोर-न्यायालय को परिवीक्षा अधिकारी से रिर्पोट की प्राप्ति पर या अन्यथा यह प्रतीत होता है कि अपचारी किशोर पर्यवेक्षण की कालावधि के दौरान सदाचारी नहीं रहा है अथवा वह योग्य संस्था जिसकी देखरेख में किशोर को रखा गया था अव किशोर का सदाचार या भलाई सुनिश्चित करने के लिए असमर्थ है या रजामंद नही है तो वह ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक समझे अपचारी किशोर को विशेष गृह को भेजी जाने का आदेश कर सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन पर्यवेक्षण आदेश करने वाला किशोर-न्यायालय किशोर को तथा, यथास्थिति, मातापिता संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था को जिसकी देखरेख में किशोर रखा गया है आदेश के निबन्धन और शर्त समझा देगा और तत्काल उस पर्यवेक्षण आदेश की प्रतिलिपि यथास्थिति किशोर के माता-पिता संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था को और यदि कोई प्रतिभू हों तो उन्हें और परिवीक्षा अधिकारी को देगा ।

(4) विशेष गृह या ऐसे व्यक्ति को जिसकी अभिरक्षा के लिए कोई किशोर इस अधिनियम के अधीन सुपुर्द किया जाना या सौंपा जाना है अवधारित करने में न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि किशोर को उसकी अपनी धार्मिक आस्था के प्रतिकूल धार्मिक शिक्षण न दिया जाए, किशोर के धार्मिक संप्रदाय का सम्यक् ध्यान रखेगा ।

22. वे आदेश जो अपचारी किशोर के विरूद्ध पारित न किए जा सकेंगे. - (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी तत्पतिकूल बात के न होते हुए भी किसी अपचारी किशोर को मृत्यु का कारावास का दंडादेश नहीं दिया जाएगा और न जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर या प्रतिभूति देने में व्यतिक्रम होने पर कारागार सुपुर्द किया जाएगा :

परन्तु जहां ऐसे किशोर ने जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, कोई अपराध किया है और किशोर-न्यायालय का समाधान हो जाता है कि किया गया अपराध ऐसी गंभीर प्रकृति का है या उसका आचरण और आचार ऐसा रहा है कि वह उसके हित में या विशेष गृह में के अन्य किशोरों के हित में नहीं

होगा कि उसे ऐसे विशेष गृह भेजा जाए और यह कि इस अधिनियम के अधीन उपबंधित अन्य अध्यायों में से कोई भी उपयुक्त या पर्याप्त नहीं है वहां किशोर-न्यायालय अपचारी किशोर के ऐसे स्थान में और ऐसी रीति में जिसे वह ठीक समझे सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने का आदेश कर सकेगा और उस मामले की रिपोर्ट राज्य सरकार के आदेशार्थ देगा ।

(2) किशोर-न्यायालय से उपधारा (1) के अधीन रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्य सरकार किशोर के बारे में ऐसे इन्तजाम कर सकेगी जैसे वह उचित समझे और ऐसे अपचारी किशोर के ऐसे स्थान में और ऐसी शती पर जिन्हें वह ठीक समझे निरूद्ध रखे जाने का आदेश कर सकेगी :

परन्तु इस प्रकार आदिष्ट निरोध की कालावधि कारावास की उस अधिकतम कालावधि से अधिक नहीं होगी जिसके लिए वह किशोर उस किए गए अपराध के लिए दण्डादिष्ट किया जा सकता था ।

23. दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अधीन कार्यवाही का किशोर के विरूद्ध न हो सकना. - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी किसी किशोर के विरूद्ध उक्त संहिता के अध्याय 8 के अधीन न कोई कार्यवाही संस्थित की जाएगी और न ही कोई आदेश किया जाएगा ।

24. किशोर का और किशोर से भिन्न व्यक्ति का संयुक्त विचारण न होना. (1) दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 223 में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी तत्पतिकूल बात के होते हुए भी कोई किशोर किसी ऐसी व्यक्ति के साथ जो किशोर नहीं है किसी अपराध के लिए आरोपित या विचारित नहीं किया जाएगा ।

(2) यदि कोई किशोर किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त है जिसके लिए वह किंशोर और कोई अन्य व्यक्ति. जो किशोर नहीं है दंण्ड प्रक्रिया संहिता. 1974 (1974 का 2) की धारा 223 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उस दशा में जब कि उपधारा (1) मैं अन्तर्विष्ट प्रतिषेध न होता एक साथ आरोपित और विचारित किया जाता तो उस अपराध का संज्ञान करने वाला न्यायालय उस किशोर और अन्य व्यक्ति के पृथक् विचारणों का निदेश देगा ।

25. दोषसिद्धि से होने वाली निरर्हताओं का हटाया जाना. - किसी अन्य मैं किसी बात के होते हुए भी कोई किशोर जिसने कोई अपराध किया है और जिसके बारे में इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन कर्रवाई की जो चुकी है किसी ऐसी निहंता के यदि कोई हो अधीन नहीं होगा जो ऐसी विधि के अधीन अपराध की दोषसिद्धि से संलग्न हो ।

26. लम्बित मामलों के बारे में विशेष उपबंध. - इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी क्षेत्र में के न्यायालय में उस तारीख को जब कि यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त है लम्बित किशोर विषयक 'सब कार्यवाहियां उस न्यायालय में ऐसे चालू रखी जाएगी मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया है और यदि न्यायलय का यह निष्कर्ष है किं किशोर ने अपराध किया है तो वह उस निष्कर्ष को

अभिलिखित करेगा और उस किशोर के बारे में कोई दण्डादेश करने के बजाय उस किशोर को किशोर-न्यायालय भेज देगा जो उस किशोर के बारे में आदेश इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे करेगा माना इस अधिनियम के अधीन जांच पर उसका समाधान हो गया है कि किशोर ने वह अपराध किया है ।

अध्याय 5
साधारणत : सक्षम प्राधिकारियों की प्रक्रिया और ऐसे प्राधिकारियों के आदेशों की अपील तथा पुनरीक्षण

27. बोर्डो और किशोर न्यायालयों की बैठकें आदि. - (1) बोर्ड या किशोर-न्यायालय अपनी बैठकें ऐसे स्थान पर ऐसे दिन ओर ऐसी रीति से करेगा जो विहित की जाए ।

(2) धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन यथास्थिति बोर्ड या किशोर न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया मजिस्ट्रेट इस अधिनियम के अधीन किसी किशोर के बारे में कोई जांच करते समय यावतसाध्य उस भवन या कमरे में अथवा उन दिनों और समयों से जिन पर ऐसे न्यायालयों की बैठकें मामूली तौर पर होती हैं भिन्न दिनों और समयों पर बैठेगा ।

(3) इस अधिनियम के अधीन किसी किशोर के बारे में जांच शीघ्रता से की जाएगी ओर सामान्यतया उसके प्रारंभ होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर समाप्त की जाएगी जब तक कि विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएंगे सक्षम अधकारी अन्यथा निदेश न दें ।

28. वे व्यक्ति जो समक्ष प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकेंगे. - (1) उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम में उपबंधित है निम्नलिखित के सिवाय कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी की किसी बैठक में उपस्थित नहीं होगा अर्थात् -

(क) सक्षम प्राधिकारी का कोई अधिकारी, या
(ख) सक्षम प्राधिकारी के समक्ष की जांच के पक्षकार किशोर के माता-पिता या संरक्षक और जांच से सीधे संप्रक्त अन्य व्यक्ति जिनके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी और विधि व्यवसायी है; और
(ग) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उपस्थित होने के लिए अनुज्ञात करें;

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी यदि जांच के दौरान किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी किशोर के हित में या शिष्टता या नैतिकता के आधार पर यह समीचीन समझता है कि किसी व्यक्ति को जिसके अन्तर्गत पुलिस अधिकारी विधि-व्यवसायी माता-पिता संरक्षक या स्वयं किशोर है, हट जाना चाहिये तो सक्षम प्राधिकारी ऐसा निदेश दे सकेगा और यदि कोई व्यक्ति ऐसे निदेश का अनुपालन करने से इंकार करता है तो सक्षम प्राधिकारी उसे हटवा सकेगा 3 और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग करा सकेगा जो आवश्यक हो ।

(3) कोई विधि--व्यवसायी बोर्ड की विशेष अनुज्ञा के बिना बोर्ड के समक्ष किसी मामले या

कार्यवाहियों में उपस्थित होने का हकदार नहीं होगा ।

29. किशोर के माता-पिता या संरक्षक की हाजिरी. - कोई सक्षम प्राधिकारी जिसके सक्षम कोई किशोर इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन लाया जाता है जब भी वह ऐसी करना ठीक समझे किशोर का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखने वाले माता-पिता या संरक्षक से अपेक्षा कर सकेगा कि वह किशोर के बारे में किसी कार्यवाही में उपस्थित हो ।

30. किशोर को हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान करना. - यदि. जांच के अनुक्रम में किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किशोर की हाजिरी जांच के प्रयोजनार्थ आवश्यक नहीं है तो सक्षम प्राधिकारी उसकी हाजिरी से अभिमुक्ति प्रदान कर सकेगा और किशेर की अनुपस्थिति में जांच में अग्रसर हो सकेगा |

31 खतरनाक रोग से पीड़ित किशोर को अनुमोदित स्थान के सुपुर्द करना तथा भावी व्यवस्था. - (1) जबकि किसी ऐसे किशोर के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लाया गया है यह पाया जाता है कि वह ऐसे रोग से पीड़ित है जिसके लिए लम्बे समय तक चिकित्सीय उपचार की अपेक्षा होगी या उसे कोई शारीरिक या मानसिक व्याधि है जो उपचार से ठीक हो जाएगी तब सक्षम प्राधिकारी किशोर को ऐसे समय के लिए, जिसे वह उपेक्षित उपचार के लिए आवश्यक समझता है किसी ऐसे स्थान को भेज सकेगा जो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार अनुमोदित स्थान के रूप में मान्यताप्राप्त स्थान है ।

(2) जहां कोई किशोर कुष्ठ रोग से पीड़ित या विकृतचित्त पाया जाता है वहां उसके विषय में यथास्थिति, कुष्ठरोगी अधिनियम 1898 (1898 का 3) या भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 (1912 का 4) के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाएगी ।

(3) जहां सक्षम प्राधिकारी ने किसी संक्रामक या सांसर्गिक रोग से पीड़ित किशोर के मामले में उपधारा (1) के अधीन कार्रवाई की है वहां सक्षम प्राधिकारी यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी कार्रवाई उक्त किशोर के हित में होगी तो उस किशेर को यथास्थिति उसके पति या पत्नी को, यदि कोई हो या उसके संरक्षक को वापस दिलाने से पूर्व यथास्थिति उसके पति या पत्नी या संरक्षक से अपेक्षा करेगा कि वह चिकित्सीय परीक्षा के लिए अपने को प्रस्तुत करके न्यायालय का यह समाधान करे कि वह पति या पत्नी या संरक्षक उस बालक को जिसके बारे में आदेश किया गया पुन: संक्रांत-रोग नहीं करेगा ।

32. आयु के विषय में उपधारणा और उसका अवधारण. - (1) जहां सक्षम प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन उसके सक्षम (साक्ष्य देने के प्रयोजनार्थ से अन्यथा) लाया गाया व्यक्ति किशोर है वहां समक्ष प्राधिकारी उस व्यक्ति की आय के बारे में सम्यक् जांच करेगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो और उस व्यक्ति की आयु यथाशक्य निकटतम रूप से कथित करते हुए यह निष्कर्ष अभिलिखित करेगा कि वह व्यक्ति किशोर है या नहीं ।

(2) सक्षम प्राधिकारी का कोई आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा कि तत्पश्चात् यह साबित हुआ है कि वह व्यक्ति जिसके बारे में उसके द्वारा आदेश किया गया किशोर नहीं है ओर इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आय के रूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित आयु इस अधिनियम के आयोजनों के लिए उस व्यक्ति की सही आयु समझी जाएगी ।

33. वे परिस्थतियां जिनका इस अधिनियम के अधीन आदेश करने में विचार किया जाएगा. - किसी किशोर के बारे में इस अधिनियम के अधीन आदेश करने में सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित परिस्थितियों का विचार करेगा अर्थात् : -

(क) किशोर की आयु
(ख) किशोर के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति
(ग) वे परिस्थितियां जिनमें किशोर था और रह रहा है
(घ) परिवीक्षा अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट
(ङ) किशोर की धार्मिक आस्था
(च) ऐसे अन्य परिस्थतियां जिन पर विचार करना सक्षम प्राधिकारी की राय में किशोर के कल्याण के लिए अपेक्षित है :

परन्तु अपचारी किशोर की दशा में उपर्युक्त परिस्थितियों पर तब विचार किया जाएगा जब किशोर-न्यायालय ने किशोर के विरूद्ध यह निष्कर्ष अभिलिखित कर लिया है कि उसने अपराध किया है ।

परन्तु यह और कि यदि परिवीक्षा अधिकारी की कोई रिपोर्ट धारा 19 के अधीन उसे इत्तिला दिए जाने के दस सप्ताह के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो किशोर-न्यायालय उसके बिना अग्रसर होने के लिए स्वतंत्र होगा ।

34. किशोर को अधिकारिता के बाहर भेजना. - ऐसे उपेक्षित या अपचारी किशोर की दशा में जिसका मामूली तौर पर निवास का स्थान उस सक्षम प्राधिकारी की जिसके समक्ष वह लाया गया है अधिकारिता के बाहर है सक्षम प्राधिकारी यदि सम्यक् जांच के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना समीचीन है उस किशोर को उस नातेदार या अन्य योग्य व्यक्ति के पास जो अपने मामूली तौर पर निवास के स्थान पर उस रखने के लिए और उसकी उचित देखरेख और उस पर नियंत्रण रखने के लिए रजामंद है वापस भेज सकेगा यद्यपि वह निवास स्थान सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के बाहर है और वह सक्षम प्राधिकारी जो उस स्थान पर अधिकारिता का प्रयोग करता है जहां किशोर भेजा गया है तत्पश्चात् उद्भूत होने वाली किसी बात के बारे में उस किशोर के संबंध में ऐसी शक्तियां रखेगा मानो मूल आदेश उसके द्वारा किया गया हो ।

35. रिपोर्टो का गोपनीय माना जाना. - परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट या सक्षम प्राधिकारी द्वारा धारा 33 के अधीन विचार की गई कोई परिस्थिति गोपनीय मानी जाएगी :

परन्तु सक्षम प्राधिकारी यदि वह ऐसा करना ठीक समझता है तो उसका सार किशोर कं। या उसके माता-पिता या संरक्षक को संसूचित कर सकेगा और उस किशोर के मातापिता या संरक्षक को इस बात का अवसर दे सकेगा कि वह रिपोर्ट में कथित बात से सुसंगत कोई साक्ष्य पेश करे ।

36. इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में अंतर्ग्रस्त किशोर के नाम आदि प्रकाशित करने का प्रतिषेध. - (1) किसी समाचारपत्र पत्रिका या समाचार पृष्ठ में इस अधिनियम के अधीन किशोर के बारे में किसी जांच की कोई रिपोर्ट किशोर का नाम पता या विद्यालय या अन्य विशिष्टियां जिनसे किशोर का पहचाना जाना प्रकल्पित हो प्रकट नहीं करेगी और न ही ऐसे किशोर का कोई चित्र ही प्रकाशित किया जाएगा :

परन्तु जांच करने वाला प्राधिकारी ऐसा प्रकटन लेखन द्वारा अभिलिखित किए जानेवाले कारणों से तब अनुज्ञात कर सकेगा जब उसकी राय में ऐसा प्रकटन किशोर के हित में है ।

(2) उपधारा (1) के उपबधों का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति जुर्माने से जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा दण्डनीय होगा ।

37. अपीलें. - (1) इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर सेशन न्यायालय को अपील कर सकेगा :

परन्तु सेशन न्यायालय उस अपील को उक्त तीस दिन की कालावधि के अवसान के पश्चात् तब ग्रहण कर सकेगा जब उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के अन्दर अपील फाइल करने में पर्याप्त हेतुक से निवारित हुआ था ।

(2) क ऐसे किशोर के बारे में जिसके बारे में यह अभिकथित है कि उसने अपराध किया है किशोर न्यायालय द्वारा किए गए दोषमुक्ति के किसी आदेश अथवा
ख इस निष्कर्ष के बारे में कि वह व्यक्ति उपेक्षित किशोर नहीं है बोर्ड द्वारा किए गए किसी आदेश

(3) सेशन न्यायालय द्वारा उस धारा के अधीन अपील में किए गए आदेश से द्वितीय अपील नहीं होगी ।

38. पुनरीक्षण. - उच्च न्यायालय या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त आवेदन की प्राप्ति पर किसी भी समय किसी ऐसी कार्यवाही का अभिलेख जिसमें किसी सक्षम प्राधिकारी या सेशन न्यायालय ने कोई आदेश किया हो आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजनार्थ मंगा सकेगा और उसके संबंध में ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक सकझे :

परन्तु उच्च न्यायालय किसी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई आदेश उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना नहीं करेगा ।

39. जांच अपील और पुनरीक्षण की कार्यवाहियों में प्रक्रिया. - (1) उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्तत : उन्यथा उपबंधित है सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों में से किसी के अधीन जांच करते समय ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो विहित की जाए और उसके अध्यधीन रहते हुए वह दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) में समन के मामलों के विचारण के अधिकथित प्रक्रिया का यावतशक्य अनुसरण करेगा |

(2) उसके सिवाय जैसा कि इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन अभिव्यक्त : अन्यथा उपबंधित हो इस अधिनियम के अधीन अपीलों या पुनरीक्षण कार्यवाहियों की सुनवाई में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया यावतशक्य दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अनुसार होगी ।

40. आदेशों के संशोधन की शक्ति. - (1) इस अधिनियम के अधीन अपील या पुनरीक्षण के लिए उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कोई सक्षम प्राधिकारी या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त आवेदन की प्राप्ति पर किसी आदेश की जो उस संद्यग के बारे में हो जिसे किशोर भेजा जाना हो या उस व्यक्ति के बारे में हो जिसकी देखरेख या पर्यवेक्षण में किशोर को इस अधिनियम के अधीन रखा जाना हो संशोधित कर सकेगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेशों में की लिपिकीय भूलों या किसी आकस्मिक भूल या लोप से उनमें उत्पन्न होने वाली गलतियां किसी भी समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त आवेदन की प्राप्ति पर सुधारी जा सकेगी ।

अध्याय 6

41. किशोरों के बारे में विशेष अपराध. - (1) जो कोई किशोर का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए ऐसी रीति से जिससे उस किशोर को आवश्यक या मानसिक या शारिरिक कष्ट होना सम्भाव्य हो उस किशोर पर हमला करेगा उसका परित्याग करेगा, उसे उच्छन्न करेगा या जान-बूझकर उसकी उपेक्षा करेगा या उस पर हमला या उसका परिव्यक्त, उच्छन्न या उपेक्षित किया जाना कारित या उपाप्त करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) कोई न्यायालय उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान तब तक नहीं करेगा जब तक कि परिवाद राज्य सरकार के या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के पूर्व अनुमोदन से फाइल नहीं किया गया है ।

42. भीख मारगने के लिए किशोरों का नियोजन. - (1) जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए

किसी किशोर ' को नियोजित या प्रयुक्त करेगा या किसी किशोर से भीख मंगवाएगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

(2) जो कोई किशोर का वास्तविक भारसाधन या उस पर नियंत्रण रखते हुए, उपधारा (1) के अधीन दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा वह कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

(3) इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध संज्ञेय होगा।

43. किशोर को मादक लिकर या स्वापक अवधि या मन-प्रभावी पदार्थ देने के लिए शास्ति. - जो कोई सम्यक् रूप से अहित चिकित्सा व्यवसायी के आदेश या बीमारी से अन्यथा किसी किशोर को लोक-स्थान में कोई मादक लिकर या कोई स्वापक या मन -प्रभावी पदार्थ देगा या दिलवाएगा वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।

44. किशोर कर्मचारियों का शोषण. - जो कोई किसी नियोजन के प्रयोजन के लिए किशोर को दृश्यमानत : उपाप्त करेगा या किशोर के उपार्जनों को विधारित करेगा या उसके उपार्जन स्वयं अपने प्रयोजन के लिए उपयोग में लाएगा वह करावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा ।

45. वैकल्पिक दण्ड. - जहां कोई कार्य या लोप ऐसा अपराध गठित करता है जो इस अधिनियम के अधीन या किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के अधीन भी दंडनीय है, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसे अपराध का दोषी पाया गया अपराधी ऐसे अधिनियम के अधीन हो जो किसी दंड का उपबंध .करता है ऐसे कारावास का दायीं होगा जो मात्रा में अधिक हो ।

अध्याय 7
प्रकीर्ण

46. किशोरों को उन्मोचित और अंतरित करने की राज्य सरकार की शक्ति. - (1) राज्य सरकार इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी किसी समय यह आदेश कर सकेगी कि कोई उपेक्षित या अपचारी किशोर किशोर-गृह विशेष गृह से या तो आत्यान्तिक रूप से या ऐसी शर्तों पर जिन्हें अधिरोपित करना राज्य सरकार ठीक समझे उन्मोचित किया जाए।

(2) राज्य सरकार इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी आदेश कर सकेगी कि-

(क) उपेक्षित किशोर एक किशोर-गृह से दूसरे को अन्तरित किया जाए;
(ख) अपचारी किशोर एक विशेष गृह से दूसरे को या जहां बोर्स्टल स्कूल हो वहां विशेष गह से

बोर्स्टल स्कूल को या विशेष गृह से किशोर-स्कूल को अन्तरित किया जाए;

(ग) कोई उपेक्षित किशोर या अपचारी किशोर किसी किशोर-गृह या विशेष गृह से किसी योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था को अन्तरित किया जाए;

(घ) कोई किशोर, जो ऐसी अनुज्ञप्ति पर छोड़ा गया है जो प्रतिसंहत या समपहत कर ली गई है उसे विशेष गृह या किशोर-गृह को जहां से वह छोड़ा गया था या किसी अन्य किशोर-गृह या विशेष गृह को या बोर्स्टल स्कूल को भेजा जाए :

परन्तु किशोर-गृह या विशेष गृह या किसी योग्य व्यक्ति के अधीन किशोर के ठहरने की कुल कालावधि ऐसे अन्तरण द्वारा बढाई नहीं जाएगी ।

(3) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार किसी किशोर को किसी ऐसे व्यक्ति की देखरेख से जिसके अधीन वह इस अधिनियम के अधीन रखा गया था या तो आत्यान्तिक रूप से या ऐसी शर्तो पर जिन्हें अधिरोपित करना राज्य सरकार ठीक समझे किसी भी समय उन्मोचित कर सकेगी ।

47. इस अधिनियम के अधीन किशोर-गृहों आदि तथा भारत के विभिन्न भागों में उसी प्रकृति के अन्य किशोर-गृहों आदि के बीच अन्तरण. - (1) राज्य सरकार यह निदेशकि कोई उपेक्षित किशोर या अपचारी किशोर राज्य में किसी किशोर-गृह या विशेष गृह से किसी अन्य राज्य में के किशोर-गृह विशेष गृह या उसी प्रकृति की संस्था को अंतरित किया जाए उस राज्य की सरकार की सहमति से दे सकेगी |

(2) राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह उपबंध कर सकेगी कि राज्य में के किसी किशोर-गृह या विशेष गृह में कोई ऐसा उपेक्षित किशोर या उपचारी किशोर जो किसी अन्य राज्य में के किशोर-गृह या विशेष गृह या उसी प्रकृति की संस्था में निरूद्ध है उस दशा में रखा जाए जबकि उस राज्य की सरकार ऐसे अन्तरण के लिए आदेश कर और ऐसे अन्तरण पर इस अधिनियम के उपबंध उस किशेर को ऐसे लागू होंगे मानो यह ऐसे किशोर-गृह या विशेप गृह को भेजे जाने के लिए इस अधिनियम के अधीन मूलत : आदिष्ट हो ।

48. विकृतचिल के या कुष्ठ से पीड़ित या औषधि व्यसनी किशोरों का अन्तरण. - (1) जहां राज्य सरकार को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अनुसरण में किसी विशेष गृह या किशोर-गृह या संस्था में रखा गया कोई किशोर कुष्ठ से पीड़ित है या विकृतचिन्त है या स्वापक औषधियों या मन प्रभावी पदार्थ का व्यसनी है वहां राज्य सरकार उसके कुष्ठाश्रम या मानसिक अस्पताल या ओषधि व्यसनी व्यक्तियों के लिए उपचार केन्द्र या अनुरक्षित अभिरक्षा के अन्य स्थान को हटाए जाने का आदेश कर सकेगी कि वह उस अवधि से अनधिक अवधि पर्यन्त जिसके दौरान वह सक्षम प्राधिकारी के आदेश के अधीन अभिरक्षा में रखे जाने के लिए अपेक्षित हो या ऐसी अतिरिक्त कालावधि पर्यन्त जो किशोर के उचित उपचार के लिए चिकित्सक अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रमाणित की जाए रखा जाए ।

(2) वहां राज्य सरकार के यह प्रतीत' होता है कि किशोर के कुष्ठ या चित्तविकृति या औषधि

व्यसन का उपचार हो गया है वहां यदि वह किशोर फिर भी अभिरक्षा में रखे जाने का दायी हो तो वह किशोर का भारसाधन रखने वाले व्यक्ति को आदेश दे सकेगी कि वह उसे उस विशेषगह या किशोर गृह या संस्था में भेज दे जहां से उसे हटाया गया था या यदि किशोर अभिरक्षा में रखे जानै का दायीं न रह गया हो तो वह उसके उन्मोचित किए जाने का आदेश कर सकेगी ।

49. अनुज्ञप्ति पर बाहर रखना. - (1) जब किशोर किशोर-गृह या विशेष गह में रखा जाता है तब राज्य सरकार यदि वह ठीक समझे तो किशोर को किशोर-गृह या विशेष गृह से छोड़ सकेगी और उसे ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तो पर जो अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट की जाएं एक लिखित अनुज्ञप्ति अनुदल कर सकेगी जो उसमें नामित किसी ऐसे उत्तदायी व्यक्ति को जो प्रशिक्षित करने की दृष्टि से उसे रखने और उसको अपने भारसाथन में लेने के लिए रजामन्द हो साथ या उसके पर्यवेक्षण के अधीन उस किशोर का रहना अनुज्ञात करे ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति उस अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट कालावधि पर्यन्त या प्रतिसंहत किए जाने तक या तब तक जब तक वह उन शर्तो में से जिन पर वह अनुदत्त की गई थी किसी के भंग के कारण समपहत न हो जाए प्रवृत्त रहेगी ।

(3) राज्य सरकार, किसी भी समय लिखित आदेश द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति को प्रतिसंहत कर सकेगी ओर किशोर को आदेश दे सकेगी कि वह किशोर-गृह या विशेष गह जहां से वह छोड़ा गया था या किसी अन्य किशोर-गृह या एक विशेष गृह बापस जाए ओर उस व्यक्ति की जिसके साथ या जिसके पर्यवेक्षण के अधीन रहने के लिए किशोर को उपधारा (1) के अधीन अनुदल अनुज्ञप्ति के अनुसार अनुज्ञात किया गया हो वांछा पर ऐसा अवश्य करेगी ।

(4) जब कोई अनुज्ञप्ति प्रतिसंहत या समपहत हो जाए ओर किशोर उस विशेष गृह या किशोर-गृह को वापस जाने में असफल रहे जिसमें वापस जाने के लिए उसे निदेश दिया गया हो, तब राज्य सरकार यदि आवश्यक हो तो उसका भारसाधन में लिया जाना और विशेष गृह या किशोर-गृह वापस ले जाया जाना कारित कर सकेगी ।

(5) वह समय जिसके दौरान कोई किशोर इस धारा के अधीन अनुदत्त अनुज्ञप्ति के अनुसरण में विशेष गृह या किशोर-गह से अनुपस्थित रहता है उस समय का भाग समझा जाएगा जिसके दौरान वह किशोर गृह या किशोर-गह में अभिरक्षा में रखे जाने का दायी हो :

परन्तु यदि किशोर अनुज्ञप्ति के प्रतिसंहत हो जाने पर, विशेष गृह य किशोर-गृह को वापस जाने में असफल रहता है तो वह समय जो ऐसे वापस जाने में उसकी असफलता के पश्चात् व्यतीत हो उस समय की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा जिसके दौरान वह अभिरक्षा में रखे जाने का दायी हो ।

50. निकल भागने वाले किशोरों के बारे में उपबंध. - तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी

तत्पतिकूल बात के होते हुए भी कोइ पुलिस अधिकारी किसी ऐसे किशोर को जो विशेष गृह या किशोर गह से या उस व्यक्ति की जिसके अधीन वह उस अधिनियम के अधीन रखा गया हो देखरेख से भाग निकला हो वारन्ट के बिना अपने भारसाधन में ले सकेगा और वह किशोर को यथास्थिति उस विशेष गृह या किशोर-गृह को या उस व्यक्ति के पास वापस भेज देगा और किशोर के बारे में कोई कार्यवाही इस प्रकार निकल भागने के कारण संस्थित नहीं की जाएगी किन्तु विशेष गह किशार-गृह या वह व्यक्ति उस सक्षम प्राधिकारी को जिसने किशोर के बारे में आदेश किया हो इत्तिला देने के पश्चात् किशोर के विरूद्ध ऐसा कदम उठा सकेगा जो आवश्यक समझा जाए ।

51. माता-पिता द्वारा अभिदाय. - (1) वह सक्षम प्राधिकारी जो किसी उपेक्षित किशोर या अपचारी किशोर को किशोर-गृह या विशेष गह भेजने या योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था की देखरेख में रखने का आदेश करता है माता-पिता को या किशोर के भरण-पोषण के दायी किसी अन्य व्यक्ति को यह अपेक्षा करने वाला आदेश कर सकेगा कि उसके भरण-पोषण के लिए विहित रीति से अभिदाय करे यदि वह ऐसा करने में समर्थ है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आदेश करने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी उस माता-पिता की या किशोर के भरण-पोषण के दायी अन्य व्यक्ति को परिस्थितयों की जाचं करेगा और साक्ष्य यदि कोई हो यथास्थिति उस माता-पिता या अन्य ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति में अभिलिखित करेगा ।

(3) किशोर के भरण-पोषण के दायी व्यक्ति के अन्तर्गत उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधर्मजत्व की दशा में उसका ख्यात पिता है :

परन्तु जहां कि किशोर अधर्मज हो ओर उसके भरण-पोषण का आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 02 की धारा 125 के अधीन किया जा चुका हो वहां सक्षम प्राधिकारी, ख्यात पिता के विरूद्ध अभिदाय के लिए आदेश मामूली तौर पर नहीं करेगा किन्तु यह आदेश कर सकेगा कि भरण-पोषण के उक्त आदेश के अधीन शोध्य प्रोद्यमान सम्पूर्ण धनराशि या उसका कोई भाग किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित किया जाए ओर ऐसी धनराशि उस किशोर के भरण-पोषण के लिए उसके द्वारा दी जाएगी ।

(4) इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उसी रीति में प्रवर्तित किया जा सकेगा जिससे दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) की धारा 125 के अधीन आदेश दिया जाता है ।

52. निधि. - (1) राज्य सरकार इस अधिनियम में चर्चित किशोर के कल्याण और पुनर्वास के लिए ऐसे नाम से जो वह ठीक समझे एक निधि का सृजन कर सकेगी ।

(2) निधि में ऐसे स्वैच्छिक संदान अभिदाय या अभिदान जमा किए जाएंगे जो किसी व्यष्टि या संगठन द्वारा किए जाएं ।

(3) उपधारा (1) के अधीन सृजित निधि का प्रशासन ऐसे अधिकारियों या प्राधिकारी द्वारा ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी रीति से किया जाएगा जो विहित की जाए।

53. सलाहकार बोर्ड. - (1) राज्य सरकार गृहों की स्थापना ओर प्रबंध साधनों को जुटाने उपेक्षित ओर अपचारी किशोरों की शिक्षा प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाओं की व्यवस्था तथा संबंधित विभिन्न शासकीय और अशासकीय अभिकरणों के बीच समन्वय से सम्बंधित विषयों पर उसे सलाह देने के लिए एक सलाहकार बोर्ड का गठन कर सकेगी ।

(2) सलाहकार बोर्ड उतने अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगा जो राज्य सरकार ठीक समझे ओर इसके अन्तर्गत सुसंगत क्षेत्रों में लगे हुए विशेषज्ञ ओर स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि भी हो सकेंगे ।

54. परिदर्शक. - (1) राज्य सरकार अधिक से अधिक तीन गैर-सरकारी व्यक्तियों को नामनिर्देशित कर सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन स्थापित प्रत्येक गृह के लिए परिदर्शक होंगे ।

55. अभिरक्षक का किशोर पर नियंत्रण. - कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में कोई किशोर इस अधिनियम के अनुसरण में रखा जाता है उस समय जबकि आदेश प्रवृत्त हो उस किशोर पर वैसे ही नियंत्रण रखेगा जैसे वह रखता यदि वह उसका माता-पिता होता और वह उसके भरण-पोषण के लिए उत्तरदायी होगा और किशोर सक्षम प्राधिकारी द्वारा कथित कालावधि के दौरान उसकी अभिरक्षा में तब भी बना रहेगा जनकि -के माता-प्रिता या अन्य व्यक्ति द्वारा दावा किया जाए :

परन्तु ऐसी अभिरक्षा में होने के समय किसी किशोर का विवाह सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा के बिना नहीं किया जाएगा ।

56. इस अधिनियम के प्रारंभ के समय दंडादेश भोग रहा अपचारी किशोर - किसी ऐसे क्षेत्र में जिसमें यह अधिनियम प्रवृत्त किया जाता है राज्य सरकार निदेश दे सकेगी कि कोई अपचारी किशोर जो इस अधिनियम के प्रारंभ के समय कोई दंडादेश भोग रहा हो ऐसा दंडादेश की अवशिष्ट कालावधि के लिए विशेष गृह भेजा जाएगा या ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से जो राज्य सरकार ठीक समझे सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाएबा ओर इस अधिनियम के उपबंध उस किशोर को ऐसे लागू होंगे माने वह, यथास्थिति, ऐसे विशेष गृह को भेजे जाने के लिए किशोर-न्यायालय द्वारा आदिष्ट किया गया हो या धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन निरूद्ध किए जाने के लिए आदिष्ट किया गया हो ।

57. अधिकारियों की नियुक्ति. - (1) राज्य सकरार जितनी संख्या में परिवीक्षा अधिकारी तथा विशेष गृहा किशोर-गृहों संप्रेक्षण-गृहों और पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों के निरीक्षण के लिए अधिकारी तथा अन्य ऐसे अधिकारी जो वह इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने कलए आवश्यक समझे नियुक्त कर सकेगी ।

(2) परिवीक्षा अधिकारी के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे -

(क) अपराध के अभियुक्त किसी किशोर के पूर्ववृत्त और कौटुम्बिक इतिहास की जांच-सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार इस दृष्टि से करना कि उस प्राधिकारी को जांच करने में सहायता दे;

(ख) उपेक्षित और अपचारी किशोरों को ऐसे अंतरालों पर जाकर देखना जैसे परिवीक्षा अधिकारी ठीक समझे;

(ग) किसी उपेक्षित या अपचारी किशोर के व्यवहार के बारे में सक्षम प्राधिकारी को रिपोर्ट देना;

(घ) उपेक्षित या अपचारी किशोरों को उपदेश और सहायता दना ओर यदि आवश्यक हो तो उनके लिए उपयुक्त नियोजन का पता लगाने का प्रयास करना;

(ङ) जहां कोई उपेक्षित या अपचारी किशोर किसी व्यक्ति या संस्था की देखरेख में किन्हीं शर्तो पर रखा जाए, वहां यह देखना कि क्या उन शती का अनुपालन किया जा रहा है; तथा

(च) अन्य ऐसे कर्तव्यों का पालन करना जो विहित किए जाए ।

(3) राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई अधिकारी किसी विशेष गृह, किशोर गृह, किशोर-गृह, संप्रेक्षण-गृह या पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन में प्रवेश कर सकेगा और उसके सब विभागों का तथा तत्संबंधी सब कागजों रजिस्टरों और लेखाओं का पूर्ण निरीक्षण कर सकेगा ओर ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

58. इस अधिनियम के अधीन नियुक्त अधिकारियों का लोक सेवक होना. - इस अधिनियम के अनुसरण में नियुक्त परिवीक्षा अधिकारी और अन्य अधिकारी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे ।

59. बंधपत्रों के बारे में प्रक्रिया. - दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) के अध्याय 33 के उपबंध इस अधिनियम के अधीन लिए बए बंधपत्रों को यावत्शक्य लागू होंगे ।

60. शक्तियों का प्रत्यायोजन. - राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति, उन परिस्थतियों में और ऐसी शर्तो के अधीन यदि कोई हों जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं उस सरकार के अधीनस्थ किसी अधिकारी द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी ।

61. सदभावपूर्वक, की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण. - इस अधिनियम या इंसके अधीन बनाए गए किसी नियम या आदेश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के बारे में कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी परिवीक्षा अधिकारी या अन्य अधिकारी के विरूद्ध नहीं होगी ।

62. नियम बनाने की शक्ति. - (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित

करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्ही विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगें, अर्थात् -

(क) वे स्थान जहां पर वे दिन और वह समय जब और वह रीति जिससे सक्षम प्राधिकारी अपनी बैठकें कर सकेगा;

(ख) इस अधिनियम के अधीन जांच करने में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और खतरनाक रोगों या मानसिक स्थाधियों से पीड़ित किशोरों के बारे में कार्रवाई करने का ढंग;

(ग) वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्त । जिनके अधीन कोई संस्था विशेष गृह या किशोर-गृह के रूप में प्रमाणित की जा सकेगी या उसे संप्रेक्षण-गृह के रूप में मान्यता प्रदान की जा सकेगी और ऐसे प्रमाणीकरण या मान्यता को प्रत्याहृत किया जा सकेगा;

(घ) विशेष गृहों, किशोर-गृहों और संप्रेक्षण-गृहों का आतरिक प्रबंध तथा उनके द्वारा बनाए रखी जाने वाली सेवाओं का स्तर और प्रकार;

(ङ) विशेष गृहों किशोर गृहों ओर संप्रेक्षण गृहों के कृत्य औऐर उत्तरदायित्व;

(च) विशेष गृहों किशोर-गृहों संप्रेक्षण गृहों और पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों का निरीक्षण;

(छ) पश्चात्वर्ती देखरेख संगठनों की स्थापना तथा प्रबंध और उनके कृत्य; वे परिस्थितियां जिनमें और वे शर्ते जिनके अधीन किसी संस्था को पश्चात्वर्ती देखरेख संगठन के रूप में मान्यता दी जा सकेगी तथा ऐसे अन्य विषय जो धारा 12 में निर्दिष्ट है;

(ज) परिवीक्षा अधिकारियों की अर्हताएं और कृत्य;

(झ) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किए गए व्यक्तियों की भर्ती और प्रशिक्षण और उनकी सेवा के निबंधन और शर्ते;

(ञ) वे शर्त, जिनके अधीन किसी ऐसी लड़की को, जो उपेक्षित या अपचारी हो एक स्थान से दूसरे स्थान को रक्षाधीन साथ ले जाया जा और वह रीति जिससे कोई किशोर सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के बाहर भेजा जा सकेगा;

(ट) अधिकारी या प्राधिकारी जिनके द्वारा वह रीति जिससे और वह प्रयोजन जिसके लिए धारा 52 के अधनी सृजित निधि प्रशासित की जाएगी;

(ठ) शर्त जिनके अधीन किशोर अनुज्ञप्ति के आधार पर बाहर रखा जा सकेगा और ऐसी अनुज्ञप्ति का प्ररूप और शर्त;

(ड) वे शर्त जिनके अधीन किशोर माता-पिता संरक्षक या अन्य योग्य व्यक्ति या योग्य संस्था की देखरेख में इस अधिनियम के अधीन रखे जा सकेंगे और ऐसे रखे गए किशोरों के प्रति ऐसे व्यक्तियों या संस्थाओं की बाध्यताएं; कोई अन्य विषय जो विहित किया जाना हो या विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र उस राज्य के विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाएगा ।

63. निरसन और व्यावृत्तियां. - यदि इस अधिनियम के किसी राज्य में प्रवृत्त होने की तारीख के ठीक पूर्व उस राज्य में इस अधिनिमय के तत्समान कोई विधि प्रवृत्त हो तो वह विधि उसी तारीख को निरसित हो जाएगी :

परन्तु ऐसा निरसन निम्नलिखित पर प्रभाव नहीं डालेगा अर्थात्

(क) इस प्रकार निरसित किसी विधि का पूर्व प्रवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई या सहन की गई कोई बात; या

(ख) इस प्रकार निरसित किसी विधि के अधीन अर्जित प्रोद्भूत या उपगत कोई अधिकार विशेषाधिकार बाध्यता या दायित्व या

(घ) यथा पूर्वोक्त किसी अधिकार, विशेषाधिकार बाध्यता दायित्व शस्ति समपहरण या दण्ड के बारे में कोई अन्येषण विधिक कार्यवाही या उपचार,

और ऐसा कोई अन्वेषण, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित किया जा सकेगा, चालू रखा जा सकेगा या प्रवर्तित किया जा सकेगा और ऐसी कोई शास्ति समपहरण या दण्ड ऐसे अधिरोपित किया जा सकेगा मानो यह अधिनियम पारित ही न किया गया हो ।